# उत्तर प्रदेश प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल ऐक्ट, 1948

(उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या 38, सन् 1948 ई0)

# THE UTTAR PRADESH PRANTIYA RAKSHAK DAL/VIKAS DAL ACT, 1948

**(U.P. Act No. XXXVIII of 1948)**

# [1][उत्तर प्रदेश] [1][प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल] ऐक्ट, 1948[2]

**[ [1](उत्तर प्रदेश) ऐक्ट संख्या 38, सन् 1948 ई० ]**

**[ [1](उत्तर प्रदेश) लेजिस्लेटिव असेम्बली ने दिनांक 18 अक्टूबर, 1948 ई० तथा लेजिस्लेटिव कौंसिल ने दिनांक 5 नवम्बर, 1948 ई० की बैठक में स्वीकृत किया। ]**

**[भारतीय (अस्थायी विधान) आदेश सन् 1947 ई० द्वारा अवस्थानुकूल परिवर्तित भारत–शासन विधान सन् 1935 ई० की धारा 75 के अन्तर्गत गवर्नर ने दिनांक 4 दिसम्बर, 1948 ई० को स्वीकृति प्रदान की और [1][उत्तर प्रदेश] शासकीय गजट में दिनांक 11 दिसम्बर, 1948 ई० को [3]प्रकाशित हुआ। ]**

**[1][उत्तर प्रदेश] [1][प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल] के निर्माण की व्यवस्था करने के लिए**

## एक

## ऐक्ट

**प्रस्तावना**

क्योंकि यह उचित और आवश्यक है कि सार्वजनिक शान्ति बनाएं रखने, लोगों को स्वावलम्बी बनाने और उनमें अनुशासन की भावना उत्पन्न करने के लिए, हथियार चलाने की शिक्षा देने और [1][उत्तर प्रदेश] में सामाजिक जीवन और सम्पत्ति की रक्षा करने के लिए [1][उत्तर प्रदेश] [1][प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल] नामक एक दल के निर्माण की व्यवस्था की जाय,

इसलिए नीचें लिखा हुआ विधान बनाया जाता है :––

**संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ**

**1**–(1) इस ऐक्ट का नाम [1][उत्तर प्रदेश] [1][प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल] ऐक्ट, 1948 ई० होगा ।

(2) यह सारे [5][[1][उत्तर प्रदेश] में [4][लागू] होगा ।

(3) यह ऐक्ट तुरन्त लागू होगा ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 24, 2009 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिए दिनांक 8 अक्टूबर 1948 ई० का सरकारी असाधारण गजट पृष्ठ 1, देखिए ।
3. गजट 1948 खण्ड सात/ए, पृष्ठ 70––72 देखिए ।
4. इस अधिनियम का विस्तार इस सारणी के स्तम्भ 1 में उल्लिखित क्षेत्रों में, स्तम्भ 2 में उल्लिखित अधिनियम या आर्डर के अधीन किया गया है और इसे ऐसे क्षेत्रों में, स्तम्भ 3 उल्लिखित विज्ञप्ति, यदि कोई हो, के अधीन उस दिनांक से जो प्रत्येक ऐसे क्षेत्र के सामने स्तम्भ 4 में उल्लिखित है, प्रवृत्त किया गया है ;

| क्षेत्र | अधिनियम अथवा आदेश जिनके अन्तर्गत प्रसार किया गया | विज्ञप्ति, यदि कोई हो जिनके अंतर्गत प्रभावी किया गया | तिथि |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1–जिला रामपूर | रामपुर (एप्लीकेशन आफ लाज) ऐक्ट, 1950 | सं० 3679/17 | 30 दिसम्बर, 1949 |
| 2–जिला बनारस | बनारस (एप्लीकेशन आफ लाज) आर्डर, 1950 | संख्या 3262(1)/17 दिनांक 30 नवम्बर, 1949 | 30 नवम्बर, 1949 |
| 3–जिला टेहरी–गढ़वाल | टेहरी–गढ़वाल (एप्लीकेशन आफ लाज) आर्डर, 1949 | संख्या 3262(2)/17 दिनांक 30 नवम्बर, 1949 | तदैव |

5. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (दी यूनाइटेड प्राविन्सेज) के लिये प्रतिस्थापित ।

**परिभाषायें**

**2**–इस ऐक्ट में जब तक की कोई बात विषय या प्रसंग के विपरीत न हो, ––

(क) [1][महा निदेशक], "गजटेड अफसर", "[2][***]" और "नान–गजटेड अफसर" से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है जिन्हें ऐसे पदों पर, जो निर्धारित किए जायें, नियुक्त किया जाय ।

(ख) [1][प्रादेशिक रक्षक दल/विकास दल] के सदस्य से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो उस रूप में भर्ती किया गया हो और इसमें कोई ऐसा अफसर भी सम्मिलित है, जो इस ऐक्ट के आदेशों के अनुसार नियुक्त किया गया हो ।

(ग) [1][राज्य सरकार] से तात्पर्य [1][उत्तर प्रदेश] सरकार से है ।

(घ) "निर्धारित"से तात्पर्य इस ऐक्ट के अधीन बनाए गए नियमों तथा अधिनियमों (रेगुलेशन्स) द्वारा निर्धारित किए हुए से है ।

**[1] [उत्तर प्रदेश] [प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल] का निर्माण**

**3**–एक ऐसा दल निर्माण किया जायेगा और रक्खा जायेगा जिसका नाम [1][उत्तर प्रदेश] [1][प्रादेशिक रक्षक दल/विकास दल]" होगा, जिसे आगे चलकर [1][प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल] कहा गया है, और इसका संगठन उन विधि से किया जायेगा जो निर्धारित की जाये।

**भर्ती**

**4**–उन प्रतिबन्धों के साथ जो निर्धारित किए जावें, किसी भी व्यक्ति को [1][प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल] के सदस्य के रूप में भर्ती किया जा सकता है और उसकी सेवा की शर्तें वह होंगी, जो निर्धारित की जाये।

**काम**

**5**–निर्धारित अधिकारी के आदेश पर [1][प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल] के सदस्य को सार्वजनिक शान्ति बनाए रखने और [1][उत्तर प्रदेश] के भीतर किसी भी क्षेत्र के निवासियों की रक्षा तथा सम्पत्ति की सुरक्षा के सम्बन्ध में ऐसे काम करने होंगे, जिनके लिए उपर्युक्त निर्धारित अधिकारी आदेश दें ।

**घोषणा**

**6**–[1][प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल] के प्रत्येक सदस्य को भर्ती हो जाने पर, ऐसी प्रतिज्ञा करनी होगी, जो परिशिष्ट के रूप–पत्र (फार्म) में दी हुई है ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 24, 2009 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 24, 2009 की धारा 3 द्वारा निकाला गया ।

**अधिकार, सुरक्षा तथा नियंत्रण आदि**

**7**–(1) इस ऐक्ट के आदेशों या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या अधिनियम (रेगुलेशन) को प्रयोग में लाने के लिए [1][प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल] के प्रत्येक सदस्य के सम्बन्ध में जब वह कर्त्तव्य पालन कर रहा (ड्यूटी पर) हो या कर्तव्य पालन करने (ड्यूटी के लिए) बुलाया जाये, यह समझा जायेगा कि वह पुलिस अफसर है और ऐसी शर्त और प्रतिबन्धों के साथ, जो निर्धारित किए जाये; उस को वह सब अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व तथा संरक्षण प्राप्त होंगे और उनके अधीन वह रहेगा, जो पुलिस ऐक्ट, सन् 1861 ई० (उसकी धारा 29 के अतिरिक्त) या किसी अन्य विधान के अधीन जो उस समय लागू हों, नियमानुसार नियुक्त पुलिस अफसर को प्राप्त हों या जिनके अधीन वह हो, परन्तु वह शर्ते और प्रतिबन्ध इस ऐक्ट के आदेशों के प्रतिकूल न होंगी ।

(2) [1][प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल] के किसी सदस्य के विरूद्ध किसी ऐसे कार्य के विषय मे जो उसने सदस्य के रूप में किया हो या जिसके बारे में यह समझा जाय कि उस ने इस रूप में किया है, उस अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना जिसे इस सम्बन्ध में निर्धारित किया गया हो, कोई अभियोग नहीं चलाया जायगा ।

(3) किसी क्षेत्र में दल की देखभाल (सुपरिटेंडेंट) का अधिकार ऐसे अफसर या अफसरों को प्राप्त होगा, जिन्हें [2][राज्य सरकार] नियुक्त करे।

**नौकरी की अवधि तथा कार्य–भार से मुक्त किया जाना**

**8**–[1][प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल] के प्रत्येक सदस्य को [1][राज्य सरकार] की ऐसी अवधि तक सेवा करनी होगी जो निर्धारित की जाये। इसके बाद उसे कर्तव्य पालन करने (ड्यूटी) के लिए उस अतिरिक्त अवधि में, जो निर्धारित की जाये, किसी भी समय बुलाया जा सकेगा। ऐसी अतिरिक्त अवधि के समाप्त होने पर उक्त सदस्य (मेम्बर) के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि वह [1][प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल] से अलग कर दिया गया है ।

**अपराध**

**9**–[1][प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल] के किसी ऐसे सदस्य को तीन मास के कारावास अथवा [2][पांच सौ रूपए] तक जुर्माने का या दोनो प्रकार का दण्ड दिया जा सकता है, जो––

(क) धारा 5 के अधीन कर्तव्य पालन करने के लिए (ड्यूटी पर) बुलाए जाने पर उपस्थित न हो, या

(ख) बिना पर्याप्त कारण के अपने से बड़े अफसर की आज्ञा की अपेक्षा व अवहेलना करता है या कर्तव्य पालन (ड्यूटी) के समय [1][प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल] के सदस्य के कर्तव्यों का पालन नहीं करे, या

(ग) कर्तव्य (ड्यूटी) का त्याग करता है, या

(घ) इस ऐक्ट के अधीन बने हुए नियमों तथा अधिनियमों (रेगुलेशनों) के किसी आदेश का उल्लंघन करता है ।

**दल के सदस्यों के, जो अफसर न हों, छोटे–छोटे**

**10**–जब [1][प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल] के किसी सदस्य पर, जो अफसर न हो, ऐसे अपराध का अभियोग लगाया गया हो जो धारा 9 के अनुसार दन्डनीय हो, तो [1][महा निदेशक] या इस सम्बन्ध से उसके द्वारा लिखित अधिकार प्राप्त कोई गजटेड

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 24, 2009 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 24, 2009 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।

अपराधों पर गैर अदालती कार्यवाही

अफसर [1][***], जिसके अधीन दल का सदस्य उस समय काम कर रहा हो, यह आदेश दे सकता है कि उक्त अभियोग पर विधिपूर्वक मुकदमा चलाए बिना ही कार्यवाही की जाय, और ऐसा आदेश दिए जाने पर वह अफसर जिसके सेनानयकत्व (कमांड) में दल की वह टुकड़ी हों, ऐसे सदस्य को नीचे लिखे हुए एक या एक से अधिक दण्ड दे सकता है, अर्थात्––

(क) ऐसे स्थान में जो उपयुक्त समझा जाये, ऐसी अवधि के लिए रोक रखना, जो सात दिन से अधिक न हो ;

(ख) क्वार्टरों में रोक या बिना रोक के साथ दण्ड के रूप में ड्रिल, अतिरिक्त कार्य, परिश्रम (फेटीग) या अन्य कर्त्तव्य पालन (ड्यूटी) कराना जो तीस दिन से अधिक न कराया जायगा ;

(ग) ऐसी अवधि के जो एक महीने से अधिक न हो, वेतन इत्यादि जब्त कर लेना।

नान–गजटेड अफसर के छोटे–छोटे अपराधों पर गैर–अदालती कार्यवाही

**11**–जब [2][प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल] के किसी ऐसे सदस्य पर, जो नाम–गजटेड अफसर हो, ऐसे अपराध का अभियोग लगाया जाये, जो धारा 9 के अनुसार दण्डनीय हो, तो [2][महा निदेशक] या उसके द्वारा लिखित अधिकार प्राप्त कोई गजटेड अफसर [3][***] जिसके अधीन दल का वह सदस्य उस समय काम कर रहा हो, ऐसे सदस्य को विधिपूर्वक मुकद्दमा चलाये बिना ही नीचे लिखे हुए एक या एक से अधिक दण्ड दे सकता हैं, अर्थात्––

(क) किसी नीचे के ग्रेड (वेतन–क्रम) या नीचे के क्लास श्रेणी या [4][सामान्य कोटि में] में उतार देना ;

(ख) ऐसी अवधि के लिए, जो एक मास से अधिक न हो, वेतन और भत्ते जब्त कर लेना ;

(ग) दन्ड के रूप में ड्रिल, अतिरिक्त कार्य या कर्तव्य पालन (ड्यूटी) कराना जो तीस दिन से अधिक के लिए न हों ;

(घ) भर्त्सना (रेप्रीमाण्ड) या कड़ी भर्त्सना (सीवियर रेप्रीमाण्ड) ।

गजटेड अफसरों के छोटे–छोटे अपराधों पर गैर अदालती कार्यवाही

**12**–जब किसी गजटेड अफसर [5][***] पर ऐसा अभियोग लगाया गया हो, जो धारा 9 के अनुसार दण्डनीय हो, तो [1][महा निदेशक] नियमानुसार मुकद्दमा चलाये बिना ही, ऐसे अफसर की भर्त्सना या कड़ी भर्त्सना कर सकता है या उस मामले को [1][राज्य सरकार] के पास आदेश के लिए भेज सकता है ।

अपराधो पर विचार

**13**–यदि अपराध धारा 9 के अधीन दण्डनीय हो और उसके अभियोग की धारा 10, 11 या 12 के अनुसार नहीं निबटा दिया गया है, तो उसके मुकदमें की सुनवाई अधिकार–प्राप्त प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट करेगा ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 24, 2009 की धारा 5 द्वारा निकाला गया ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 24, 2009 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 24, 2009 की धारा 6(क) द्वारा निकाला गया ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 24, 2009 की धारा 6(ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 24, 2009 की धारा 7 द्वारा निकाला गया ।

**[1][राज्य सरकार] के दण्ड देने के अधिकार**

**14**–किसी ऐसे अन्य दण्ड पर विपरीत प्रभाव डाले बिना, जो [1][राज्य सरकार] किसी ऐसे अन्य कानून या नियम के अधीन दे सकती है, जो उस समय लागू हों, [1][राज्य सरकार] धारा 12 के अधीन व्यवस्था–प्रार्थना (रेफ्रेंस) किये जाने पर स्वयं ही किसी गजटेड अफसर या समान पद के किसी आनरेरी अफसर को नीचे लिये हुए सब दण्ड या उनमें से कोई दण्ड दे सकती है, अर्थात् :––

(क) भर्त्सना या कड़ी भर्त्सना ;

(ख) वैतनिक पदाधिकारी की दशा में उसके दुराचरण के परिणामस्वरूप जो व्यय या हानि हुई हो उसकी पूर्ति के लिए उसके वेतन मे ंसे कटौती करना ;

(ग) सेवा–समय की जब्ती (फार्फीचर आफ सर्विस) ; और

(घ) रैंक में कमी करना ।

**जांच के समय कारानिरोध (हिरासत) में रखना**

**15**–दल का कोई सदस्य जिस पर इस ऐक्ट के अधीन दण्डनीय कोई अपराध लगाया गया हो, जांच के समय निर्धारित अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रकार से कारानिरोध (हिरासत) में लिया और रखा जा सकता है ।

**भर्ती का प्रमाण**

**16**–किसी न्यायालय के सामने प्रस्तुत किसी कार्यवाही में यह बात कि अमुक व्यक्ति इस ऐक्ट के अधीन भर्ती किया गया है, कोई ऐसा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करके सिद्ध की जा सकती है जिस पर [1][महा निदेशक] या किसी गजटेड अफसर [2][***] ने हस्ताक्षर कियें हों, जैसा भी निर्धारित किया जाय ।

**नियोजक एजेन्ट, आदि रक्षक द्वारा दल के सदस्य को अनुमति**

**17**–(1) निर्धारित दशा के अतिरिक्त प्रत्येक नियोजक (एम्प्लायर), उसके एजेन्ट तथा प्रबन्धक (मैनेजर) के लिये यह आवश्यक होगा कि [1][प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल] के किसी ऐसे सदस्य को, जो उस समय उसके द्वारा या उसके अधीन काम में नियुक्त हो, यह अनुमति दे कि वह उस पद पर अपना कार्यभार संभाले ओर किस विधान या उस नियोजक और सदस्य के बीच लागू किसी इकरारनामें में किसी विपरीत बात के रहते हुये भी उस तारीख से, जब उक्त सदस्य ने अपना कार्य–भार संभाला हो, उससे उसके मुक्त होने की तारीख तक का समय ऐसे प्रतिबन्धों और शर्तो के अधीन, जो निर्धारित किये जायें, उस नियोजक के कार्य में व्यतीत हुआ समझा जायेगा ।

(2) कोई नियोजक, उसका एजेन्ट या प्रबन्धक न तो किसी कर्मचारी को पदच्यूत (डिस्मिस) करेगा न पद से हटायेगा (रिमूव करेगा), न मुअत्तल करेगा और न कोई ऐसी अन्य कार्यवाही करेगा, जो ऐसे कर्मचारी के लिये उसके [1][प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल] के सदस्य होने के कारण हानिकारक हो ।

(3) जो कोई उपधारा (1) या (2) के उद्देश्यों का उल्लंघन करेगा, उसे अर्थ दण्ड दिया जायगा, जो [3][पांच सौ रूपए] तक हो सकता है ।

**नियोजक तथा [1][प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल] के सदस्य को सरकार द्वारा भत्ते देना**

**18**–जब कभी [1][प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल] का कोई सदस्य, जो [1][राज्य सरकार] के अतिरिक्त किसी व्यक्ति के अधीन काम करने के लिये नियुक्त किया गया हो, कर्तव्य पालन (डयूटी) करने के लिये बुलाया जाय तो [1][राज्य सरकार] के लिये यह आवश्यक होगा कि वह नियोजक (इम्पलायर) और सदय को ऐसी अतिपूर्ति और भत्ते दे जो निर्धारित किये जायें।

---

1. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (दी यूनाइटेड प्राविन्सेज) के लिए प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 24, 2009 की धारा 8 द्वारा निकाला गया ।
3. उ0 प्र0 अधियिम संख्या 24, 2009 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित।

**19**– [1][ X X X X ]

**20**–(1) [2][राज्य सरकार] सरकारी गजट में पहले से प्रकाशित करके इस ऐक्ट के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम और अधिनियम (रेगुलेशन) बना सकती है । **नियम बनाने का अधिकार**

(2) विशेष रूप से और उपर्युक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों और अधिनियमों (रेगुलेशनों) द्वारा––

(क) वह ढंग निर्धारित किया जा सकता है जिससे, और वह प्रतिबन्ध निश्चित किये जा सकते हैं जिनके अन्तर्गत कोई व्यक्ति [2][प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल] के सदस्य के रूप में भर्ती या नियुक्त किया जा सकता है ;

(ख) वह अधिकारी निर्धारित किये जा सकते हैं, जिनके अधीन, और वह प्रतिबन्ध निर्धारित किये जा सकते है जिनके अन्तर्गत, कोई व्यक्ति, जो [2][प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल] के सदस्य के रूप में भर्ती या नियुक्त किया गया हो, काम करेगा ;

(ग) अवैतनिक या वैतनिक पदाधिकारियों का गजेटेड और नान गजेटेड श्रेणियों में वर्गीकरण निर्धारित किया जा सकता है ;

(घ) ऐसे सदस्य की ट्रेनिंग का समय और ढंग निर्धारित किया जा सकता है और वह दायित्व निर्धारित किये जा सकते हैं जिनके अधीन वह सदस्य उस समय रहेगा जब ऐसी ट्रेनिंग ले रहा हो, और साधारणतया अनुशासन स्थापित रखने के लिये भी नियम बनाये जा सकते है ;

(ङ) किसी अन्य बात के लिये व्यवस्था की जा सकती है जो इस ऐक्ट के अधीन निर्धारित की जाने वाली या निर्धारित की जा सकती हो ।

## परिशिष्ट

मैं––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––का पुत्र
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––का
निवासी शपथपूर्वक घोषणा करता है और प्रतिज्ञा करता हूं कि मै उत्तर प्रदेश [2][प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल] के सदस्य के रूप में, जिसका सदस्य मै अपनी इच्छा से उन दायित्वों तथा कर्त्तव्यों को पूर्णरूप से समझने के पश्चात् बना हूं, जिन्हें इस दल की सदस्यता मुझ पर आरोपित करती है ऐसी अवधि या अवधियों तक उस स्थान पर या उन स्थानों पर जो समय–समय पर निर्धारित किये जायं, सत्यनिष्ठा के साथ काम करूँगा और यह भी प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपनी मातृभूमि भारतवर्ष (इण्डिया) के सम्मान, अखण्डता, शासन विधान जैसा कि संवैधस्थापित है तथा उसकी पताका की रक्षा अपने जीवन को भी संकट में डालकर करने के निमित्त सर्वदा उद्यत रहुंगा ।

हस्ताक्षर ––––––––––––––––––––

पता––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 24, 2009 की धारा 10 द्वारा निकाला गया ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 24, 2009 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।